माननीय पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 4525/2022

= =

बुद्ध विकास समिति, बुद्ध कॉलोनी, पटना अपने सचिव शांति रॉय, उम्र लगभग 63 वर्ष, महिला, पति श्री शिव बिहारी रॉय, निवास ए/22 बुद्ध कॉलोनी, होस्पिटो इंडिया के पास, थाना– बुद्ध कॉलोनी, जिला–पटना (बिहार)।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना ।
2. सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. आयुक्त, परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बिहार सरकार, पटना।
4. जिला परिवहन अधिकारी, पटना, जिला–पटना।
5. जिला परिवहन अधिकारी, वैशाली, जिला–वैशाली, हाजीपुर।

....प्रतिवादी/प्रतिवादीगण

= =

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता के लिए : श्री दीनू कुमार, अधिवक्ता

श्रीमती रितिका रानी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : श्री सर्वेश कुमार (जी. पी. –24)

= =

- बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 – कराधान का आरोप:
    - किसी भी पंजीकृत मोटर वाहन पर कर लगाया जाएगा, जब वह बिहार राज्य के भीतर सड़कों पर उपयोग के लिए तैयार रहता है। लाभकारी अधिसूचना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।
- बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 – धारा 17, धारा 15, धारा 14:
    - वाहन के उपयोग का स्वयं में कराधान के लिए आवश्यक होना जरूरी नहीं है।

- कोई भी वाहन, यदि वह अन्य राज्य के सक्षम परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी अनुमति पत्र के तहत बिहार में उपयोग के लिए रखा गया है, तो उस पर भी कराधान अधिनियम के तहत कर देना आवश्यक है।
- कर, जैसा कि सामान्य है, कोई प्रतिदान आधारित नहीं होता और राष्ट्रीय लॉकडाउन या राज्य सरकार का आदेश कि स्कूलों को पुनः खोला न जाए, इस प्रकार के आदेश से वाहन के सड़कों पर उपयोग पर प्रतिबंध होने से कराधान अधिनियम के तहत जिम्मेदारी से छूट नहीं मिलती।
- स्कूल बसों को कर से छूट देना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसे राज्य सरकार ने अपनी समझ के अनुसार मंजूरी नहीं दी है।

• ग्रीन टैक्स:

- ग्रीन टैक्स उन पंजीकृत परिवहन वाहनों पर भी लागू होता है, जो 20 वर्ष से पुराने होते हैं, क्योंकि पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए यह लगाया जाता है।
- केवल इस कारण से कि यह एक स्कूल बस है या बच्चों को घर से स्कूल ले जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह पर्यावरणीय नुकसान को कम करेगा।
- यह यात्रियों की स्थिति पर निर्भर नहीं है, बल्कि इंजन की स्थिति पर आधारित है, जो पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न करता है, और ग्रीन टैक्स इसे 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करें' के सिद्धांत पर लागू किया जाता है।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

= =

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति हरीश कुमार

मौखिक निर्णय

(आदेश: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक: 15–04–2024

याचिकाकर्ता, एक स्कूल का प्रबंधक हैं, दिनांक 30.06.2020 के अधिसूचना को चुनौती देता है।21.03.2020 से 30.06.2020 के बीच मोटर वाहन कर के 40 प्रतिशत की छूट; जिसे यदि 31.07.2020 से पहले दाखिल किया जाता है तो जुर्माना भी नहीं लगेगा।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि स्कूल बसें, जिनकी सूची वर्तमान रिट याचिका में दी गई है, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण उस समय नहीं चलीं। इसलिए सरकार लाभ को 40 प्रतिशत तक सीमित नहीं कर सकती और कोविड–19 महामारी के दौरान चुकाए गए पूरे कर पर छूट दी जानी चाहिए और यदि पहले ही भुगतान किया जा चुका है तो उसे वापस किया जाना चाहिए। यदि कर 31.07.2020 के बाद चुकाया गया हो तो भी कोई जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए और यदि पहले ही भुगतान किया जा चुका है तो उसे भी वापस किया जाना चाहिए।

3. हमें अधिसूचना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता क्योंकि यह 21.03.2020 और 30.06.2020 के बीच छूट देने वाली एक लाभकारी अधिसूचना है, जब महामारी के कारण राष्ट्रीय लॉकडाउन था। बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 से देखा गया कर का अधिरोपण पंजीकृत मोटर वाहन के प्रत्येक मालिक पर है जिसे सड़कों पर उपयोग की आवश्यकता नहीं है। किसी भी पंजीकृत मोटर वाहन पर कर लगाया जाएगा क्योंकि इसे बिहार राज्य के भीतर सड़कों पर उपयोग के लिए तैयार रखा जाता है। याचिकाकर्ता के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता ने पंजीकरण को निलंबित करने की मांग की थी या याचिकाकर्ता ने कराधान अधिनियम की धारा 17 के तहत वाहन के उपयोग को अस्थायी रूप से बंद करने की कोई पूर्व सूचना दी थी। हम विधानमंडल की मंशा से भी समर्थन प्राप्त करते हैं, जैसा कि कराधान अधिनियम की धारा 14 से अपेक्षित है, जिसके अनुसार किसी अन्य राज्य के सक्षम परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी परमिट के तहत किसी भी वाहन को बिहार के भीतर उपयोग करने

या उपयोग के लिए रखने पर कराधान अधिनियम के तहत कर का भुगतान करना आवश्यक है। इसलिए, वाहन का उपयोग स्वयं कर लगाने के लिए एक आवश्यक आवश्यकता नहीं है।

4. इसके अलावा, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि 21.03.2020 से 30.06.2020 तक की अवधि में देशव्यापी लॉकडाउन था, जिस दौरान याचिकाकर्ता को 40 प्रतिशत छूट दी गई थी। याचिकाकर्ता कराधान अधिनियम की धारा 15 के तहत लगाए जाने वाले कर में आंशिक छूट के लिए जारी लाभकारी अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकता कि वास्तव में पूरी छूट दी जानी चाहिए थी, जो कि सरकार की नीति है। कर, जैसा कि प्रचलित है, प्रतिदान पर आधारित नहीं है और राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू करने या राज्य द्वारा स्कूलों को फिर से न खोलने का आदेश देने से, इस प्रकार सड़क पर वाहनों के उपयोग को प्रतिबंधित करने से कराधान अधिनियम के तहत देयता समाप्त नहीं होगी। खासकर तब जब कराधान अधिनियम में ऐसी स्थितियों और तरीकों पर विचार किया गया है जिनके द्वारा ऐसी छूट दी जा सकती है, वह भी पंजीकृत मालिक द्वारा किए गए आवेदन पर; जो वर्तमान मामले में अनुपस्थित है।

5. एक और तर्क यह उठाया गया है कि स्कूल बसों पर ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। स्कूल बसों को टैक्स से छूट देना फिर से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसे उसने अपने विवेक से नहीं दिया है। ग्रीन टैक्स उन पंजीकृत परिवहन वाहनों के लिए भी है जो 20 साल से ज़्यादा पुराने हैं; पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए। सिर्फ़ इसलिए कि यह एक स्कूल बस है या यह बच्चों को घर से स्कूल ले जाती है, इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान में कोई कमी नहीं आएगी। यात्रियों की स्थिति नहीं बल्कि इंजन की स्थिति पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है, जिसे 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है' के सिद्धांत पर ग्रीन टैक्स लगाकर कम करने की कोशिश की गई है। याचिकाकर्ता को इस तरह की परेशानी से बचने के लिए बच्चो के परिवहन के वाहन खरीदने की सलाह दी जाएगी, जो स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा।

6. हम रिट याचिका पर विचार करते हुए उसे खारिज करते हैं।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(हरीश कुमार, न्यायाधीश)

पी. के. पी/–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।